न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 –11/2020

अनवान : –

1. रोहताश पुत्र झिण्डुराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. झिण्डुराम पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. सुमित्रा पुत्री झिण्डुराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री गुंशीराम गोस्वामी वादी
श्री सुरेन्द्र मील प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 13/03/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 12 एएमएस के वर्तमान खाता सं 30/24 के मु0 न0 33 के किला न0 7 ता 10, 15 की कुल 1.265 है0 नहरी मय रास्ता व चक 12 एएमएस के वर्तमान खाता सं 23/92 के मु0 न0 37 किला 2 ता 5 ,8, 9, 12, 13 की कुल 2.024 है0 नहरी बारानी कृषी भूमि व इसी प्रकार चक 12 एएमएस के खाता सं 22/20 के मु0 न0 33 के किला न0 11 ता 14, 16 ता 25 मु0 न0 36 के किला न0 1 ता 5 कुल 4.807 है0 खातेदारी प्रतिवादी सं 1 झिण्डुराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है। उपर वर्णित कृषी भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि पहले वादी के दादा हेतराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। हेतराम के देहान्त के बाद वाद भूमि विरासतन प्रतिवादी सं 1 झिण्डुराम के नाम दर्ज हो गई। वाद भूमि पैत्रक एवं दादालाई सम्पति है अतः वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 बहिस्सा बराबर के काश्तकार है। वाद भूमि महज कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं 1 झिण्डुराम के नाम विरासतन दर्ज हो गई। वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादी के हकों पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। वादी को अपने हकों की घोषणा कराने का कानूनी अधिकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। साक्ष्य वादी में

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादी रोहताश पुत्र झिण्डुराम जाति जाट निवासी निनाण के साक्ष्य करवाये गये । साक्ष्यवादी में प्रस्तुत जमाबंदी चक 12 एएमएस प्रदर्श 1 ता 3 जमाबंदी चक 12 एएमएस संवत 2016 प्रदर्श 4 ता 8 और वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 9 प्रदर्शित करवायें।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मौजा चक 12 एएमएस के वर्तमान खाता सं 30/24 के मु0 न0 33 के किला न0 7 ता 10, 15 की कुल 1.265 है0 नहरी मय रास्ता व चक 12 एएमएस के वर्तमान खाता सं 23/92 के मु0 न0 37 किला 2 ता 5 ,8, 9, 12, 13 की कुल 2.024 है0 नहरी बारानी कृषी भूमि व इसी प्रकार चक 12 एएमएस के खाता सं 22/20 के मु0 न0 33 के किला न0 11 ता 14, 16 ता 25 मु0 न0 36 के किला न0 1 ता 5 कुल 4.807 है0 खातेदारी प्रतिवादी सं 1 झिण्डुराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने जरिए राजीनामा यह स्वीकार किया कि चक 12 एएमएस के खाता सं 30/24 के मु0 न0 33 के किला न0 7 ता 10, 15 की कुल 1.265है0 व चक 12 एएमएस के खाता सं 23/92 के मु0 न0 37 के किला न0 2 ता 5, 8, 9, 12, 13 की कुल 2.024है0 जो प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं 1 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 2 के हिस्से में तर्क कर दिया है इसलिए प्रतिवादी सं 1 का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें तथा शेष चक 12 एएमएस के खाता सं 22/20 के मु0 न0 33 के किला न0 11 ता 14 ,16 ता 25 व मु0 न0 36 के किला न0 1 ता 5 की कुल 4.807 है0 कृषी भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम यथावत रखा जावें जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 एएमएस के वर्तमान खाता सं 30/24 के मु0 न0 33 के किला न0 7 ता 10, 15 की कुल 1.265 है0 नहरी मय रास्ता व चक 12 एएमएस के वर्तमान खाता सं 23/92 के मु0 न0 37 किला 2 ता 5 ,8, 9, 12, 13 की कुल 2.024 है0 नहरी बारानी कृषी भूमि व इसी प्रकार चक 12 एएमएस के खाता सं 22/20 के मु0 न0 33 के किला न0 11 ता 14, 16 ता 25 मु0 न0 36 के किला न0 1 ता 5 कुल 4.807 है0 खातेदारी प्रतिवादी सं 1 झिण्डुराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें चक 12 एएमएस के वर्तमान खाता सं 30/24 के मु0 न0 33 के किला न0 7 ता 10, 15 की कुल 1.265 है0 नहरी मय रास्ता व चक 12 एएमएस के वर्तमान खाता सं 23/92 के मु0 न0

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

37 किला 2 ता 5 ,8, 9, 12, 13 की कुल 2.024 है0 में प्रतिवादी सं 1 झिण्डुराम का नाम कलमजन कर वादी सं 1 रोहताश व प्रतिवादी सं 2 सुमित्रा को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तथा शेष चक 12 एएमएस के खाता सं 22/20 की वाद कृषी भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम यथावत् रखी जावें। चुंकि प्रतिवादी सं0 1 झिण्डुराम ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 2 के पक्ष में तर्क कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंयजीन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(मुकेश बारैठ)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री मुकेश बारेठ आर.ए.एस.

मि0न0 –11/2020

अनवान : –

1. रोहताश पुत्र झिण्डुराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. झिण्डुराम पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. सुमित्रा पुत्री झिण्डुराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारेठ उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकिल वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी व वकिल प्रतिवादी श्री सुरेन्द्र गील की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत मिस पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 एएमएस के वर्तमान खाता सं 30/24 के मु0 न0 33 के किला न0 7 ता 10, 15 की कुल 1.265 है0 नहरी मय रास्ता व चक 12 एएमएस के वर्तमान खाता सं 23/92 के मु0 न0 37 किला 2 ता 5 ,8, 9, 12, 13 की कुल 2.024 है0 नहरी बारानी कृषी भूमि व इसी प्रकार चक 12 एएमएस के खाता सं 22/20 के मु0 न0 33 के किला न0 11 ता 14, 16 ता 25 मु0 न0 36 के किला न0 1 ता 5 कुल 4.807 है0 खातेदारी प्रतिवादी सं 1 झिण्डुराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें चक 12 एएमएस के वर्तमान खाता सं 30/24 के मु0 न0 33 के किला न0 7 ता 10, 15 की कुल 1.265 है0 नहरी मय रास्ता व चक 12 एएमएस के वर्तमान खाता सं 23/92 के मु0 न0 37 किला 2 ता 5 ,8, 9, 12, 13 की कुल 2.024 है0 में प्रतिवादी सं 1 झिण्डुराम का नाम कलमजन कर वादी सं 1 रोहताश व प्रतिवादी सं 2 सुमित्रा को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तथा शेष चक 12 एएमएस के खाता सं 22/20 की वाद कृषी भूमि प्रतिवादी स 1 के नाम यथावत् रखी जावें। चुंकि प्रतिवादी सं0 1 झिण्डुराम ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 2 के पक्ष में तर्क कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंयजीन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अंदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/03/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारेठ)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला हनुमानगढ़)